न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2025
Gcms reg. No. 2025/30

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

उपस्थित अभिभाषक

अभियोजन अधिकारी — श्री आकाश पटेल

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	94/04.04.2016	19/54 आबकारी अधिनियम	71/20.04.2016	सजा
2	85/24.04.2018	19/54 आबकारी अधिनियम	63/30.04.2016	सजा
3	42/13.02.2019	20/54 आबकारी अधिनियम	35/26.02.2019	सजा
4	49/18.02.2019	20/54 आबकारी अधिनियम	37/28.02.2019	सजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) जो आबकारी अधिनियम के तहत कुल 4 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ साथ एक सामाजिक बुराई है, जिसका समाज के लोगो व नवयुवको पर बुरा प्रभाव पडता है। इनका स्वतंत्र रहना जनहित में नही है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 22–12–2025 को अप्रार्थी गैरसायल की ओर से श्री आकाश पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ एवं दिनांक 20.01.2026 को गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

अप्रार्थी गैरसायल के अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस हेतु निवेदन करने पर उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थी गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी किसी गेंग के सदस्य का नेता नही है ना ही आदतन आरोपी है ना किसी अपराध करने के लिये अन्य लोगो को दुष्प्ररित करता है तथा ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नही जिसमें किसी को क्षति पहुचाई हो, लुटपाट की हो, मारपीट की हो या छिना–छपटी की हो। इस कारण अप्रार्थी गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा ख के अधिन नोटिस जारी नही किया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है।

अप्रार्थी गैरसायल द्वारा किसी प्रकार का ऐसा अपराध नही किया गया है, जिससे सम्पत्ति को चेतावनी, खतरा या नुकसानी उत्पन्न हो और न ही ऐसा कोई अपराध किया गया है या ऐसे किसी अपराध मे भाग लिया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XXVI या अध्याय XXXI के अधिन कोई अपराध किया गया हो। उपरोक्तानुसार आबकारी अधिनियम के तहत कुल 4 प्रकरण न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्राबेशन पर फैसल हो चुके है जिसका सजा प्राबेशन पाबंद का समय भी निकल चुका है। उक्त प्रकरण में गांव के पडौसी व अन्य व्यक्ति ने भी गैर सायलान के विरुद्ध ऐसी कोई रिपोर्ट नही दी है कि कोई जनहानि या अशांति पैदा हो तथा उक्त प्रकरण में गैर सायल को झुठा फंसाया गया है।

अतः निवेदन है कि गैरसायल प्रकाश के विरुद्ध न्यायहित में प्रकरण निस्तारित कर बरी किया जाकर प्रकरण फैसल फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान कथन किया कि गैरसायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाड़ा (राज.) जो आबकारी अधिनियम के तहत कुल 4 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ साथ एक सामाजिक बुराई है, जिसका समाज के लोगो व नवयुवको पर बुरा प्रभाव पडता है। इनका

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

स्वतंत्र रहना जनहित में नही है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षो की बहस चार्ज पर मनन किया एवं पत्रावली व अधिनियम का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (B)(iii) में आबकारी अधिनियम 1950 के अधिन कम से कम दो बार दोषसिद्ध होने पर इस अधिनियम के तहत् निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है। धारा 2 (ख) एवं उसके अनुलग्नक स्पष्टिकरण अनुसार धारा 3 के अधिन कार्यवाहियाँ प्रारंभ किये जाने के पूर्ववर्ती छः माह अपराध कारित होने चाहिये। प्रश्नगत प्रकरण में गैरसायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के विरुद्ध जो आबकारी अधिनियम के तहत कुल 4 प्रकरण के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है उक्त समस्त प्रकरण वर्ष 2019 व उसके पूर्व के है। इस प्रकार छः माह की समयावधि की शर्त पूर्ण नही है। इस कारण गैर सायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) को निष्कासित करना हम उचित नही समझते है।

अतः गैर सायल श्री प्रकाश पिता छगन लाल निवासी भगोरा, पुलिस थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत् पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाकर गैर सायल श्री प्रकाश को दोष मुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–01–2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested